

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—स/परीक्षा पे चर्चा (97)/2022—26

दिनांक : यथा ई—हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

(जरिये—ईमेल)

विषय :- “परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम” के 9वें संस्करण अन्तर्गत दिनांक : 06 फरवरी 2026 एवं 09 फरवरी 2026 को प्रसारित होने वाले एपिसोड के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

प्रसंग :- सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का अ.शा. पत्र क्रमांक : D.O. No.2-6/2025-PPC 1 February, 2026

संदर्भ :- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 09.12.2025 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19244180), दिनांक : 23.12.2025 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19515155), दिनांक : 05.01.2026 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19751433) एवं दिनांक : 09.01.2026 (राजकाज संदर्भ संख्या : 19832545)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के वार्षिक आयोजन हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा—निर्देशों के क्रम में विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली विद्यार्थी—केंद्रित गतिविधियों के आयोजन तथा उनके व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु विभिन्न निर्देश जारी किये गये थे।

इसी सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक अ.शा. पत्र की निरन्तरता में अवगत करवाया गया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण अन्तर्गत आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम का प्रसारण 02 एपिसोड के माध्यम से दिनांक : 06.02.2026 को प्रातः 10 बजे तथा दिनांक : 09.02.2026 को प्रातः 10 बजे विभिन्न सोशल मीडिया YouTube, Facebook Live, दूरदर्शन, PM ई—विद्या, रेडियो चौनल और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, Jio Hotstar, Amazon Prime Video आदि पर प्रसारित किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित लिंक उचित समय पर शेयर किया जाएगा। इसी क्रम में परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए एक सुझाव देने वाली पोस्ट और एक प्रमोशनल वीडियो (संलग्नित) को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार—प्रसार के उद्देश्य से प्रेषित किया गया है।

उक्त कार्यक्रम के प्रसारण को सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में दिखाये जाने बाबत अग्रांकितानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

- सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों अधीनस्थ जिले में सार्वजनिक स्थान पर एक बड़े स्क्रीन पर उक्त कार्यक्रम को दिखाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- समस्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को उक्त कार्यक्रम दिखाये जाने हेतु टी.वी. की व्यवस्था सुनिश्चित करें।



RajKaj Ref No.:
20277955



- जिन स्थानों पर टी.वी. प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करने के लिए डीटीएच या सैटेलाईट सुविधा उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में लैपटॉप/कम्प्यूटर/मोबाईल का उपयोग करते हुए समस्त विद्यार्थियों को उक्त प्रसारण दिखाने/सुनाने की व्यवस्था की जावे।
- जिन विद्यालयों में इन्टरनेट और टी.वी. की सुविधा नहीं है उन विद्यालयों में रेडियो/ट्रान्जिस्टर के माध्यम से उक्त प्रसारण सुनाने की व्यवस्था की जावे।

इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करते हुए **समस्त विद्यालयों द्वारा कार्यक्रम के समाप्ति उपरान्त तत्काल ही शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल के सम्बन्धित मॉड्यूल पर उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित वांछित सूचनायें अद्यतन करवाते हुए** की गई कार्यवाही की सूचना एवं दो फोटो इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. massecondary@gmail.com पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करवाते हुए प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायें।

संलग्न : यथोक्त।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को उक्त सम्बन्ध में आवश्यक बजट प्रावधान हेतु। (जरिये ई-मेल)
5. निजी सहायक, समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान। (जरिये ई-मेल)
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर। (जरिये ई-मेल)
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर। (जरिये ई-मेल)
8. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर। (जरिये ई-मेल)
9. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल से सम्बन्धित मॉड्यूल पर समस्त विद्यालयों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सहभागियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये ई-मेल)
11. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)

12. श्री जितेन्द्र सिंह, राज्यस्तरीय विभागीय नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक, गुणवत्ता एवं नवाचार अनुभाग, कार्यालय हाजा। (जरिये ई-मेल)
13. सहायक निदेशक, पी.एस.पी. अनुभाग, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (जरिये ई-मेल)
14. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये ई-मेल)
15. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)
16. मेनेजर, गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर (जरिये ई-मेल)।
17. पीएमयू राज्य प्रबंधक, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (जरिये ई-मेल)
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)



शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एवं फेसबुक चैनल से जुड़े।



जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करें।